

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसाद

(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)

कैंप कोर्ट का स्थान :- जागरौल

(राजीनामा प्रपत्र)

सदस्य

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।

दिनांक 21

कमल रफ कपलेश बनाम मानीबाई
प्रकरण संख्या:- 59/16 अन्तर्गत धारा 88, 188

महोदय

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री कमल रफ कपलेश निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच संबंध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:- वादी कमलेश का

मानीबाई की साराजियात मौजा - जागरौल व सखी
की साराजियात में जोड़ भाग की रहे से वादी को
के एक हिस्से में स्वतंत्रता प्राप्त कर जमीन दि

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का करने की कृपा करें।

वादी पक्ष
1. कमल रफ कपलेश
2. _____
3. _____
4. _____

प्रतिवादी पक्ष 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [Signature]
(वादी पक्ष) नाम श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [Signature]
(प्रतिवादी पक्ष) नाम [Signature]

प्रार्थी/वादी कमल रफ कपलेश एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी मानीबाई द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्वखाहिश पक्षकार किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

[Signature] (80 सदस्य)
तारा देवी

[Signature] (80 सदस्य)

[Signature] (80 सदस्य)

[Signature] (80 सदस्य)

सरपंच ग्रा.प.गागरौल
छोटीसादडी जि - प्रतापगढ़

(दिनेश कुमार मण्डोव
उपखण्ड अधिकारी छोटी

